राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

E-mail : smsa.asfe2021@gmail.com

क्रमांक – रास्कूशिप/जय/वै.शि./TV दिशा–निर्देश 2026–27/ दिनांक :–

कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना – दिशा निर्देश 2026–27 (समग्र शिक्षा) डीबीटी किये जाने के सन्दर्भ में

1. उद्देश्य :–

आरटीई नियमों के तहत छितरी, कम आबादी क्षेत्रों एवं ढ़ाणियों, जहां निर्धारित मापदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6 से 14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये उनके वास स्थान से निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 1 से 8 पात्र बालक–बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा का प्रावधान किया गया है।

बालिका शिक्षा में नामांकन दर, ठहराव दर बढ़ाने व जेण्डर गैप कम करने की दृष्टि से तथा बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 व 10 की पात्र/चयनित बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है।

2. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता –

सारणी – 1

कक्षा 1 से 8 के बालक–बालिकाओं हेतु	कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं हेतु
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 5 के ऐसे विद्यार्थी, जिनके वास स्थान से 1 किमी की परिधि में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें 1 किमी से अधिक की दूरी तक जाना पड़ता है।	ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 में अध्ययन हेतु 5 किमी. से अधिक की दूरी से आने वाली बालिकाएं।
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में नामांकित कक्षा 6 से 8 के ऐसे विद्यार्थी, जिनके वास स्थान से 3 किमी. से अधिक की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है एवं उन्हें 3 किमी से अधिक की दूरी तक जाना पडता है।	–
मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 03 कि0मी0 से अधिक है।	मॉडल विद्यालयों की उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 10 की बालिकाएं, जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 05 कि0मी0 से अधिक है।

RajKaj Ref No.: 23682237
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : State Project Director
Date: 2026.07.30 19:37:49 IST
Reason: Approved

3 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत निर्धारित राशि की दर :–

सारणी – 2

कक्षा	विद्यालय का प्रकार	वास स्थान से विद्यालय की दूरी	श्रेणी	दर (प्रति उपस्थिति दिवस)	प्रति विद्यार्थी पीएबी में प्रावधित किया गया बजट
1 से 5	राजकीय विद्यालय	1 किमी. से अधिक	बालक व बालिका	10 रूपये	1500/– रूपये स्वीकृत।
6 से 8	राजकीय विद्यालय	3 किमी. से अधिक	बालक व बालिका	15 रूपये	
	स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल	3 किमी. से अधिक उसी पंचायत समिति	बालिका	15 रूपये	
9 व 10	राजकीय विद्यालय स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल	5 किमी से अधिक ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय	बालिका	20 रूपये	2700/– रूपये स्वीकृत।

4 ध्यान देने योग्य बातें :–

4.1 **<u>सत्र 2026–27 में समग्र शिक्षा की कार्ययोजना में कक्षा 11 एवं 12 की बालिकाओं के लिये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रावधान स्वीकृत नहीं किया गया है।</u>**

4.2 विद्यार्थियों के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी तथा कारण सही एवं भली प्रकार जांचकर शाला दर्पण पर प्रविष्ट करें। त्रुटि के कारण पात्र विद्यार्थी योजना से वंचित रहने एवम् अपात्र के चयनित होने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधान की रहेगी।

4.3 कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाए साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है। किसी भी स्थिति में कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं को उक्त दोनों योजना से एक साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।

4.4 शिविरा पंचांग के कार्य दिवसों की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय से ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि जारी की जाती है। संस्था प्रधान द्वारा पात्र विद्यार्थियों को वास्तविक उपस्थिति एवम् प्रावधित बजट के आधार पर ट्रांसपोर्ट वाउचर/सुविधा राशि जारी की जाएगी।

4.5 **संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र 'विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र–9' में विद्यार्थी के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी अंकित कर लॉक किया जाएगा। तत्पश्चात दूरी सम्बन्धी प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के संशोधन होने पर इसे सम्बन्धित सीबीईओ कार्यालय से करवाया जा सकेगा। इस हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा लिखित में सीबीईओ कार्यालय को सूचित करना होगा। इसी प्रकार सीबीईओ कार्यालय से संशोधन पश्चात भी किसी प्रकार के संशोधन किये जाने की कार्यवाही सीडीईओ/एडीपीसी लॉग–इन से की जा सकेगी।**

5 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन –

5.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अन्तर्गत समसा, जिला स्तर पर सीडीईओ/एडीपीसी, ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ, पंचायत स्तर पर पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं विद्यालय स्तर पर एसडीएमसी/एसएमसी द्वारा किया जायेगा।

5.2 **पात्र विद्यार्थियों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त कर राशि शिविरा पंचांग के कार्यदिवसों की गणना तथा प्रावधित बजट को संज्ञान में रखते हुए डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि जारी की जायेगी।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : State Project Director
Date: 2026.07.30 19:37:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23682237
M e-Sign

6 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संचालन के दायित्व –

A- परिषद कार्यालय, जयपुर के दायित्व :–

1. शाला दर्पण पोर्टल पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु आवेदित किये गये विद्यार्थियों की सूचना प्राप्त कर, प्राप्त सूची में से नियमानुसार पात्र/चयनित विद्यार्थियों का निर्धारण करना।
2. शाला दर्पण पोर्टल से प्राप्त सूचना अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समस्त जिलों के एडीपीसी कार्यालय को ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि आहरण की स्वीकृति दी जाएगी।
3. शिविरा कलैण्डर में निर्धारित शैक्षिक दिवसों में विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना के आधार पर परिषद कार्यालय द्वारा एडीपीसी को राशि जारी की जाएगी।
4. राशि जारी करने से पूर्व जिलों से आईएफएमएस कोड/डीडीओ कोड, पीडी खाता संख्या, ऑफिस आई.डी. इत्यादि की सूचना संकलित करना।

B- सीडीईओ /अति0 जिला परियोजना समन्वयक के दायित्व :–

1. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल के निर्धारित प्रपत्र 9 में प्रविष्टि करवाने हेतु समस्त सीबीईओ कार्यालय/संस्थाप्रधानों को निर्देशित करना।
2. योजना हेतु परिषद् से जारी प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति के अनुसार समस्त ब्लॉक कार्यालयों को राशि जारी करने की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में करना।
3. समय–समय पर योजना से सम्बन्धित परिषद् से जारी निर्देशों की पालना करवाना।
4. समस्त कार्य की निरन्तर मॉनीटरिंग करना। योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यकतानुसार समस्त सीबीईओ कार्यालयों/संस्थाप्रधानों को निर्देशित /मार्गदर्शन करना।
5. योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों के जन–आधार बनवाने/अद्यतन करवाने एवम् बैंक खाते को जन आधार से लिंक करवाने हेतु निर्देश प्रदान कर कार्य की मॉनीटरिंग करना।
6. समस्त पात्र विद्यार्थियों को राशि जारी हो सके इस हेतु नियमित रूप से शाला दर्पण पोर्टल से जिले की ब्लॉकवार, स्कूलवार, विद्यार्थीवार सूचना की मॉनीटरिंग करना।
7. परिषद् कार्यालय के दायित्व संख्या 04 की पालना सुनिश्चित करना।

C- सीबीईओ कार्यालय के दायित्व :–

1. सीबीईओ द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग की जायेगी। पीईईओ कार्यालय एवं ब्लॉक के प्रावि/उप्रावि/माध्यमिक/उ0माध्यमिक विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर रेन्डम सर्वे द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करवाया जायेगा।
2. ब्लॉक के समस्त पीईईओ कार्यालयों से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का दिशा–निर्देशों अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन करवाना।
3. संस्थाप्रधानों द्वारा सत्यापित किये गये प्रपत्र 2 की सूचना सम्बन्धित सीबीईओ कार्यालयों द्वारा संकलित की जाएगी।
4. परिषद् कार्यालय के दायित्व व एडीपीसी के दायित्व क्रमशः 04, 07 की पालना सुनिश्चित करना।

D- पीईईओ/संस्था प्रधान/एसडीएमसी/एसएमसी के दायित्व :–

सारणी –3

दायित्व	किये /करवाये जाने वाले कार्य	प्रपत्र	उप–प्रपत्र
समस्त संस्था प्रधान	ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से भरवाया जायेगा।	1	भाग–क
समस्त संस्था प्रधान	प्रपत्र–1 की जांच एवं प्रमाणीकरण करना	1	भाग–ख
समस्त संस्था प्रधान	शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि का अंकन कर प्रमाणीकरण करना।	2	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : State Project Director
Date: 2026.07.30 19:37:49 IST
Reason: Approved

1. उक्त **प्रपत्र–1 का भाग–क** को समस्त संस्था प्रधान प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अभिभावकों/संरक्षकों से भरवाना सुनिश्चित करें तथा शाला दर्पण में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
2. संस्था प्रधान द्वारा समस्त प्रार्थना/आवेदन पत्रों के सत्यापन/प्रमाणीकरण **प्रपत्र–1 के भाग–ख** में किया जायेगा।
3. **प्रपत्र–2 के द्वारा** संस्थाप्रधान द्वारा योजना के लिये नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को योजना से लाभ दिये जाने को शालादर्पण पोर्टल पर सत्यापित करना।
4. **संस्थाप्रधानों द्वारा सत्यापित किये गये प्रपत्र 2 की सूचना सम्बन्धित पीईईओ कार्यालयों द्वारा संकलित की जाएगी।**
5. **नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को उनके बैंक खाते में अथवा उनके माता–पिता/अभिभावक के खाते में राशि जारी की जाएगी।**

7 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्तीय प्रबन्धन–

7.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समग्र शिक्षा की पीएबी में ट्रांसपोर्ट वाउचर मद में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जायेगा।

7.2 अनुमोदित वार्षिक बजट 2026–27 में कक्षा 1 से 8 के ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम रूपये 1,500/– और कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं हेतु अधिकतम 2,700/– रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे अधिक राशि किसी भी विद्यार्थी को देय नहीं है।

7.3 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिलों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अंतर्गत राशि जारी की जायेगी। यह राशि शालादर्पण पोर्टल पर पात्र विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार IFMS 3.0 से आहरण स्वीकृति के रूप में जारी की जायेगी।

7.4 सत्र का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

7.5 सत्र का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ब्लॉक के समस्त पीईईओ/माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों से प्राप्त कर ब्लॉक का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एडीपीसी कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

7.6 राशि का उपयोग शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

7.7 कार्य में ''राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013'' की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

7.8 राशि का उपयोग वित्तीय नियमानुसार किया जायेगा।

8 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण –

8.1 **राज्य स्तर –** परिषद द्वारा संबंधित प्रकोष्ठ एवं शालादर्पण पोर्टल के माध्यम से।

8.2 **जिला स्तर –** सीडीईओ / एडीपीसी कार्यालय द्वारा।

8.3 **ब्लॉक स्तर –** सीबीईओ कार्यालय द्वारा।

8.4 **विद्यालय स्तर –** संकुल कार्यालय अधिकारी एवं विद्यालय के संस्था प्रधान तथा एसएमसी / एसडीएमसी द्वारा।

9 मांग एवं प्रगति की सूचना–

9.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु पात्र विद्यार्थियों की संख्या शालादर्पण पोर्टल पर प्राप्त की जाकर उसी अनुसार जिलों को राशि हस्तान्तरित की जायेगी।

9.2 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की प्रगति की समीक्षा शालादर्पण पोर्टल से राज्य स्तर पर की जायेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : State Project Director
Date: 2026.07.30 19:37:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23682237

M e-Sign

परिशिष्ट–1

Transport Voucher Target for 2026-27

Rs. in lakh

S. No.	Name of District	Transport Voucher Class 1 to 8		Transport Voucher Class 9-10		Total	
		Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial
1	AJMER	3561	53.41500	720	19.44000	4281	72.85500
2	ALWAR	3060	45.90000	523	14.12100	3583	60.02100
3	BALOTARA	17955	269.32500	1820	49.14000	19775	318.46500
4	BANSWARA	2610	39.15000	550	14.85000	3160	54.00000
5	BARAN	2292	34.38000	501	13.52700	2793	47.90700
6	BARMER	41587	623.80500	3291	88.85700	44878	712.66200
7	BEAWAR	5994	89.91000	778	21.00600	6772	110.91600
8	BHARATPUR	620	9.30000	89	2.40300	709	11.70300
9	BHILWARA	6512	97.68000	1672	45.14400	8184	142.82400
10	BIKANER	28736	431.04000	2882	77.81400	31618	508.85400
11	BUNDI	6200	93.00000	1014	27.37800	7214	120.37800
12	CHITTAURGARH	3606	54.09000	857	23.13900	4463	77.22900
13	CHURU	16633	249.49500	1845	49.81500	18478	299.31000
14	DAUSA	3235	48.52500	461	12.44700	3696	60.97200
15	DEEG	73	1.09500	9	0.24300	82	1.33800
16	DHAULPUR	1338	20.07000	227	6.12900	1565	26.19900
17	DIDWANA-KUCHAMAN	17279	259.18500	2158	58.26600	19437	317.45100
18	DUNGARPUR	3380	50.70000	847	22.86900	4227	73.56900
19	GANGANAGAR	10682	160.23000	2011	54.29700	12693	214.52700
20	HANUMANGARH	7568	113.52000	1076	29.05200	8644	142.57200
21	JAIPUR	16359	245.38500	2090	56.43000	18449	301.81500
22	JAISALMER	12318	184.77000	1030	27.81000	13348	212.58000
23	JALOR	39283	589.24500	3678	99.30600	42961	688.55100
24	JHALAWAR	1771	26.56500	558	15.06600	2329	41.63100
25	JHUNJHUNUN	15179	227.68500	1565	42.25500	16744	269.94000
26	JODHPUR	30143	452.14500	3387	91.44900	33530	543.59400
27	KARAULI	1699	25.48500	369	9.96300	2068	35.44800
28	KHAIRTHAL-TIJARA	701	10.51500	158	4.26600	859	14.78100
29	KOTA	1116	16.74000	242	6.53400	1358	23.27400
30	KOTPUTLI-BEHROR	3573	53.59500	380	10.26000	3953	63.85500
31	NAGAUR	30322	454.83000	2944	79.48800	33266	534.31800
32	PALI	5404	81.06000	788	21.27600	6192	102.33600
33	PHALODI	34062	510.93000	3308	89.31600	37370	600.24600
34	PRATAPGARH	2959	44.38500	430	11.61000	3389	55.99500
35	RAJSAMAND	6171	92.56500	1183	31.94100	7354	124.50600
36	S.MADHOPUR	3526	52.89000	678	18.30600	4204	71.19600
37	SALUMBAR	3120	46.80000	439	11.85300	3559	58.65300
38	SIKAR	32570	488.55000	3817	103.05900	36387	591.60900
39	SIROHI	7221	108.31500	700	18.90000	7921	127.21500
40	TONK	3053	45.79500	829	22.38300	3882	68.17800
41	UDAIPUR	14528	217.92000	1623	43.82100	16151	261.74100
Total		**447999**	**6719.98500**	**53527**	**1445.22900**	**501526**	**8165.21400**

RajKaj Ref No.:
23682237

M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : State Project Director
Date: 2026.07.30 19:37:49 IST
Reason: Approved

प्रपत्र–1 (भाग–क)
कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 व 10 की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र
(विद्यार्थी/ अभिभावक द्वारा भरा जायेगा)

1. छात्र/छात्रा का नाम व पता : ....
2. पिता/अभिभावक का नाम : ....
3. वर्तमान विद्यालय का नाम व पता : .... कक्षा : ....
4. निवास स्थान का पता : ....
5. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी : .... कि0मी0

A. **कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किमी से अधिक पर एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3 किमी से अधिक एवं कक्षा 9 से 10 के लिए 5 किमी से अधिक दूरी होने पर निम्न कारणों में से किसी एक कारण पर ✓ का निशान लगाएं:–**

I. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए –

- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। ☐

II. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए –

- विद्यार्थी के निवास स्थान के 3 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 3 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 3 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। ☐

III. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं के लिए –

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। ☐

IV. स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों की कक्षा 6 से 8 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए –

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 3 किमी से अधिक है। ☐

V.स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों की कक्षा 9 से 10 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए –

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। ☐

VII. **ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :–**

- एसएमसी / एसडीएमसी के माध्यम से सामूहिक परिवहन सुविधा ली जानी है। ☐
- स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की जानी है। ☐

(अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर) **(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : State Project Director
Date: 2026.07.30 19:37:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23682237
M e-Sign

प्रपत्र – 1 (भाग– ख)

(कार्यालय उपयोग हेतु)
संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि .... विद्यालय में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं में से कुल .... बालक–बालिकाओं ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिये आवेदन किया है। इनके सभी तथ्य सही पाये गये हैं। आवेदन पत्रों की जांच कर ली गयी है एवं सभी तथ्य सही पाये गये हैं। अतः आवेदन में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2026–27 के दिशा–निर्देशानुसार अनुशंषा हेतु SMC/SDMC के समक्ष प्रस्तुत है। सत्र 2026–27 के लिये पात्र / चयनित विद्यार्थियों की संख्यात्मक कक्षावार सूचना निम्नानुसार है –

क्र0स0	कक्षा	पात्र / चयनित विद्यार्थी संख्या
1	Class – 1	
2	Class – 2	
3	Class – 3	
4	Class – 4	
5	Class – 5	
6	Class – 6	
7	Class – 7	
8	Class – 8	
9	Class – 9	
10	Class – 10	
	Total	

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान
मय सील

प्रपत्र–2
संस्थाप्रधान द्वारा प्रविष्टि का शाला दर्पण पर अंकन व स्वीकृति

नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की प्रविष्टि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2026–27 के दिशा–निर्देश अनुसार कर दी गई है। समस्त विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये की प्रविष्टि को शाला दर्पण पोर्टल पर सत्यापित कर दिया गया है।

ह. संस्थाप्रधान
मय सील एवं दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : State Project Director
Date: 2026.07.30 19:37:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23682237
M e-Sign

प्रबन्ध पोर्टल एवम् IFMS 3.0 की व्यय राशियों में किसी प्रकार का अन्तर स्वीकार्य नहीं होगा। अन्यथा सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(डॉ0 रश्मि शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक एवम् आयुक्त

क्रमांकः– रास्कूलशिप/जय/वैशि/ट्रांसपोर्ट वाउचर दिशा–निर्देश/2026–27/ **दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु, संयुक्त निदेशक/सीडीईओ/जि.शि.अ. प्रा. एवं मा./सीबीईओ/पीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, ब्लॉक 06, शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर को लेख है कि विद्यार्थियों के निवास से विद्यालय की दूरी का आधार अन्य संस्कृत विद्यालय के साथ–साथ शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालय की निकटतम दूरी की गणना करते हुये प्रस्ताव परिषद कार्यालय को प्रस्तुत करें।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, (प्रथम/द्वितीय), रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, रा.स्कूल.शि.प., जयपुर।
7. उपायुक्त, शाला दर्पण, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
9. जिला परियोजना समन्वयक, अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
10. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. प्रोग्रामर, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को लेख है कि उक्त दिशा निर्देश को अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : State Project Director
Date: 2026.07.30 19:37:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23682237
M e-Sign